तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2006 / 4877 / हनुमानगढ़</u>** **सुन्दर बनाम मंगतूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री मनीष पांडया, अभिभाषक प्रार्थी (ब्रीफ होल्डर)
श्री सोहनपाल सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

<u>दिनांक : 15 फरवरी, 2021</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नोहर के निर्णय दिनांक 7–7–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मंगतूराम पुत्र निराणाराम वादी द्वारा एक वाद राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर एवं वर्तमान प्रार्थीगण व उनके एक भाई कालूराम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 1955 कहा गया है, के अन्तर्गत पुराने खसरा नम्बर–22 रकबा 41 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर–182 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर–53 रकबा 48 बीघा व खसरा नम्बर–174 रकबा 7.10 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर–208 में 62 बीघा 9 बिस्वा और खसरा नम्बर–200 में 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर–151 में 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर–152 में 13 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर–133 में 10 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर–147 में 29 बीघा, खसरा नम्बर–148 में 21 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर–149 में 10 बीघा 13 बिस्वा कुल 159 बीघा भूमि रोही मौजा ढण्ढेला के लिये इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि स्व. खुमाणाराम पुत्र नानकराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर की सम्वत 2007 से पूर्व की ठिकाना अकरका तहसील नोहर से रकम के बदले सदा के लिये काश्त हेतु नोतोड़ की हुई थी जो पुराने खसरा नम्बरों पर थी, के समय से ही एवं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2006 / 4877 / हनुमानगढ़</u>** **सुन्दर बनाम मंगतूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिनियम 1955 के प्रभावशील होने की दिनांक से ही उक्त भूमि के खातेदार हो चुके थे। पिता वादी खुमाणाराम की मृत्यु सन् 2012 फाल्गुन माह में हो चुकी थी जिनके चार लड़के लादूराम, जीराम, निराणाराम व भागीरथ उत्तराधिकारियों के रूप में काश्त करते रहे। इस वाद में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22–5–2006 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2–3, 14 व 17–19 की तलबी बन्द की जाये। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 7–7–2006 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निगरानीधीन निर्णय विधि विरूद्ध, दोष युक्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि सर्वप्रथम उक्त वाद पत्र में प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण संख्या–2 से 13 तक सभी को पक्षकार बनाया गया था एवं वाद पत्र में इन सबका1/4 हिस्से का ''सह–काश्तकार'' होना स्वीकार किया गया था एवं इस प्रकार प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार ठहरते हैं किन्तु अनायास ही प्रार्थीगण का नाम वादी ने बिना प्रार्थीगण को सूचित किये वाद से हटवा दिया एवं निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार हैं एवं उन्हें प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का नाम हटाया जाना पूर्णतया विधि विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का नाम हटाने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का कोइ अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में यह आदेश नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि किसी सह–काश्तकार का नाम हटाने का वादी को कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में यह आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 7–7–2006 निरस्त किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2006 / 4877 / हनुमानगढ़</u>** **सुन्दर बनाम मंगतूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–88 एवं 188 का है। विचाराधीन वाद में समस्त पक्षकार सह–खातेदार हैं। इसलिये सभी को पक्षकार बनाया गया है और सबकी तामील करवाई जाकर उनका पक्ष भी सुनना आवश्यक है। विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 7–7–2006 एक विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। इस निगरानी में कोई सारभूत तथ्य नहीं होने के कारण यह निगरानी निरस्त योग्य है। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर में विचाराधीन प्रकरण संख्या–36/2006 में सभी पक्षकार जमाबन्दी संवत 2059 में सह खातेदार दर्ज हैं। यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में समस्त पक्षकारों की तलबी आवश्यक है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 7–7–2006 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। निगरानी में ऐसे कोई सारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनके कारण निगरानी स्वीकार की जा सके। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। 8– अतः यह निगरानी निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2006 / 4877 / हनुमानगढ़</u>** **सुन्दर बनाम मंगतूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए